न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- **53 / 2018 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री नवरतन जोशी एडवोकेट निवासी 11 / 473 जोशी भवन, आजाद नगर, भीलवाडा **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला भीलवाड़ा

--अपीलार्थी **--प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :- अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 23.10.2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला भीलवाडा के विरूद्ध दिनांक 03.07.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 40 एफ 921170 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 02.04.2018 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला भीलवाडा को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 02.04.2018 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 03.07.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला भीलवाडा के पत्रांक 1159 दिनांक 19.07.2018 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रत्यर्थी को दिनांक 02.04.2018 को प्रेषित किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला भीलवाडा के पत्रांक 1159 दिनांक 19.07.2018 से आवेदक द्वारा चाही गयी वांछित सूचना के अधिकार 2005 के तहत अपीलार्थी को जरिये डाक द्वारा सूचना भिजवा दी गयी हैं। छाया प्रति संलग्न हैं। इसके पश्चात् अपीलार्थी ने दिनांक 06.08.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्रांक 1159 दिनांक 19.07.2018 से प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित सूचना की प्रति अपठनीय व अप्रमाणित होना अंकित किया हैं।

अतः प्रत्यर्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को सूचना की प्रति पठनीय व प्रमाणित प्रति 15 दिवस में निशुल्क उपलब्ध करावें। अपील प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है। निर्णय की प्रति प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला भीलवाडा को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 23.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा